ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/ लखनऊ/दिनांक : 02.09.2021

विषयः–राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार द्वारा जारी **Global Youth Tobacco Survey (2021)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से भारत सरकार स्तर पर दिनांक 10.08.2021 को जारी **Global Youth Tobacco Survey (2021)** के अनुसार उत्तर प्रदेश में 23 प्रतिशत विद्यार्थियों में से 22 प्रतिशत लड़कों एवं 24 प्रतिशत लड़कियों द्वारा किसी भी रूप में तम्बाकू उत्पादों का उपभोग, 22 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर परोक्ष धूम्रपान (Second hand smoke) किया जा रहा है।

कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/9017–22, दिनांक 25.08.2021, पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/9002–5, दिनांक 18.08.2021, पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/9007–10, दिनांक 18.08.2021 एवं पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/9012–15, दिनांक 18.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद स्तर पर शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (ToFEI)) हेतु प्रदत्त ऑपरेशनल गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

उक्त के क्रम में भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–पी016012/03/2021/टी0सी0, दिनांक 14 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पत्र में उल्लिखित निम्न 3 बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए दिनांक 15 अगस्त, 2021 से 02 अक्टूबर, 2021 तक जागरूकता अभियान, इन्फोर्समेंट की कार्यवाही एवं शपथ दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है:–

1–18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों को न बेंचना।
2–शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद की दुकानें नहीं होनी चाहिए।
3–विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान प्रतिबन्धित होना चाहिए।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–पी016012/16/2017/टी0सी0, दिनांक 31 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार उल्लिखित गतिविधियों को सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

Sl.No.	Activity	Timeline
1	Completion of self-Assessment checklist in all educational institutions	Up to 15th September, 2021
2	Organization of at least one tobacco control activity.	15th September- 31st October, 2021
3	Taking pledge against tocbcco use	
4	Marking of 100 yards area from the outer limit of boundary wall/fence of the Educational Institutions (EI).	
5	No shops selling tobacco products within 100 yards of the educational institute.	
6	Final evaluation and ToFEI certificate	1st November-14th November, 2021

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से 15 अक्टूबर, 2021 तक जागरूकता अभियान, इन्फोर्समेंट की कार्यवाही एवं शपथ दिलाये जाने हेतु सघन अभियान चलाते हुए (स्वमूल्यांकन स्कोर कार्ड का अनुसरण करते हुए) (छायाप्रति संलग्न) उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाये जाने एवं संकलित सूचना महानिदेशालय की ई–मेल–nodal.ntcp.up@gmail.com पर उपलब्ध करवाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

निदेशक (स्वास्थ्य)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020–21/ 9040-46
तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित :

1–अनु सचिव, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2–अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
3–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4–स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
5–समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6–उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
7–समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि आप उपरोक्तानुसार की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा अपने स्तर से भी करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

Self-Evaluation Score Card for ToFEI

Sl.No.	Criteria	Weightage Points	Scored Points by Educational Institutions.
1	Display of "Tobacco Free Area" signage inside the premise of Educational Institute at all prominent place (s).	Mandatory (10)	
	The name/designation/contact number are mentioned/updated in the signage.	Mandatory (10)	
2	Display of "Tobacco Free Education Institution" signage at entrance/Boundary wall of Education Institute.	Mandatory (10)	
	The name/designation/contact number are mentioned/updated in the signage.	Mandatory (10)	
3	No evidence of use tobacco products inside the premise i.e. cigarette/beedi butts or discarded gutka/tobacco pouches, spitting spots.	Mandatory (10)	
4	Poster or other awareness materials on harm of tobacco displayed in the premise.	9	
5	Organisation of at least one tobacco control activity during last 6 months.	9	
6	Designation of Tobacco Monitors and their names, designations, and contact number are mentioned on the signages.	9	
7	Inclusion of "No tobacco Use" norm in the Educational Institutions code of conduct guidelines.	9	
8	Marking of 100 yards area from the outer limit of boundary wall /fence of the Educational Institutions.	7	
9	No shops selling tobacco products within 100 yards of the Educational Institute.	7	

02/09/2021